

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मई 2024—वैशाख 23, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच-(CT) (11).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्र. 19) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर, नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

प्रारूप जीएसटी आर्इजी-01 में,—

(i) सरल क्रमांक 24 में, शब्दों “(क) क्षेत्र 1” के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

“(क) विद्युत बिल की विगत

विद्युत बिल की विगत

विद्युत वितरण कंपनी का नाम

उपभोक्ता खाता क्रमांक/उपभोक्ता क्रमांक

(ii) “अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची” में संलग्न तालिका में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात् निम्न को जोड़ा जायेगा अर्थात्:—

“6. राज्य विशिष्ट जानकारी:—

कारबार के मुख्य स्थान के प्रमाण के रूप में, विद्युत बिल की प्रति.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जून, 2024 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच-(CT) (11), दिनांक 13 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2024

No. CT-8-0004-2024-Sec-1-V-(CT)(11).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government on the recommendation of the Council, hereby makes further amendments in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

AMENDMENTS

In FORM GST REG-01,-

(i) against serial number 24, for the words “(a) Field 1” the following shall be substituted, namely:—

“(a) Electricity Bill details

Electricity Bill details	
Name of electricity distribution company.	Consumer Account Number/ Consumer Number.

(ii) in the Table appended to “List of Documents to be uploaded”, after Serial No. 5, following shall be added, namely :—

“6. State Specific Information:—

For proof of Principal Place of Business, copy of Electricity Bill.”

2. This notification shall come into force from 1st June, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.